संख्या-314/तीन-2025-7(23)/73

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊः दिनांकः 15 मई, 2025

विषय :- विदेशों को भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में।

महोदय,

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-ए-790/तीन-2008-7 (23)/73 दिनांक 10 फरवरी 2009 (प्रति संलग्न) में विदेशों को भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रो के सत्यापन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये है। उक्त शासनादेश दिनांक 10-02-2009 के अनुपालन में विभाग द्वारा विदेशो को भेजे जाने वाले व्यक्तिगत प्रमाण पत्र यथा जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, पॉवर ऑफ एटॉर्नी, एवं शपथ पत्र इत्यादि सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त होने पर प्रमाणित किया जाता हैं। सत्यापनोपरान्त प्रमाणित दस्तावेज की प्रति विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को उनकी ई-मेल आई०डी० पर भी उपलब्ध करायी जाती है।

2- शासन के संज्ञान में आया है कि शासनादेश दिनांक 10-02-2009 में प्रमाण पत्रो के सत्यापन की स्पष्ट व्यवस्था होने पश्चात भी प्रायः प्रमाण पत्रो के सत्यापन हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालयों द्वारा अग्रसारण / सत्यापन के बिना ही पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाता है एवं कुछ प्रकरणों में संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र जनपद स्तर पर यह कहते हुए लेने मना कर दिया जाता है कि सत्यापन की समस्त कार्यवाही शासन द्वारा की जाती है, जिससे जनमानस को सत्यापन के कार्य हेतु अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

3- सत्यापन संबंधी प्रकरण अत्यन्त संवेदनशील होते है। अभिलेखों का सत्यापन यथा सम्भव शीघ्रता से कराये जाने हेतु यह आवश्यक है कि जिला प्रशासन के अधिकारी ऐसे प्रकरणों पर व्यक्तिगत ध्यान रखें ताकि इस विषय में जिला स्तर पर अपेक्षित औपचारिकतायें न्यूनतम समयावधि में पूर्ण कर ली जायें। औपचारिकताओं की पूर्ति किये बिना प्रमाण पत्र शासन को संदर्भित करने में उनको पुनः जिलाधिकारी कार्यालय को वापस करना पड़ता है, इससे जहां समय नष्ट होता है, अनावश्यक एवं अवांछित पत्राचार करना पड़ता है, वही आम जनता को भी समस्या होती है तथा शासन / प्रशासन की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उक्त के आलोक में शासनादेश दिनांक 10-02-2009 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के सत्यापनार्थ प्रेषित किये जाने वाले प्रमाण पत्रों के संबंध में शासनादेश में वर्णित प्रक्रिया / कार्यवाही का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय
जितेन्द्र कुमार
अपर मुख्य सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को शासनादेश दिनांक 10-02-2009 की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
उमेश यादव,
उप सविच।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।